यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर (टि.ग.)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

यह कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर (टि.ग.) के माह 12/2018 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अजय त्यागी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री वीपीएस नेगी, व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16.03.2021 से 22.03.2021 तक श्री पुष्कर, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **<u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री श्रवण कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2018 से 27.12.2018 तक श्री ए.सी.कटियार, व.लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान मे माह 12/2018 से 02/2021 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गयी।
1. 2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** विभिन्न क्षेत्रों से संबन्धित नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से महिलान्मुख सरोकार को मुख्यधारा मे जोड़कर महिला व बाल अधिकारों के बारें मे जागरूकता का विकास करके तथा उनके सम्पूर्ण विकास हेतु उन्हे संस्थागत एवं कानूनी समर्थन प्रदान करके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। विभाग द्वारा महिलाओं एवं बाल के विकास, देखभाल, संरक्षण व कल्याण हेतु संचालित किए जा रहे कतिपय अभिनव कार्यक्रम/योजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वित, निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाना है। कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखंड के गढ़वाल मण्डल के टिहरी जिला के सम्पूर्ण क्षेत्र है।

(ii) (अ) लेखापरीक्षा अवधि का बजट आबंटन एवं व्यय (राज्य सैक्टर) की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम/लेखाशीर्ष) (समाज कल्याण विभाग)	आवंटन	व्यय	समर्पण/बचत
2017-18	2235	1867.69	1731.14	136.55
2018-19	2235	1974.55	1920.02	54.53
2019-20	2235	1618.39	1653.29	(-)34.90
2020-21 (02/2021)	2235	1863.43	1884.49	(-)21.06

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	**योजना का नाम/लेखाशीर्ष**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**योग**	**व्यय**	**अंतिम अवशेष (बैंक में)**
2017-18	सीपीएस	0.01	39.92	39.93	14.93	25.00
2018-19	सीपीएस	25.00	32.29	57.29	36.38	20.91
2019-20	सीपीएस	20.91	65.92	86.83	28.08	58.75
2020-21 (2/21)	सीपीएस	58.75	22.06	80.81	34.16	46.65

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य श्रोत राज्य सरकार/केंद्र सरकार है। स्थापना एवं गैर स्थापना व्यय/योजनांतरगत व्यय को सम्मलित करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

3 (i) विभाग का संगठनात्मक (उत्तराखंड शासन) ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव, बाल विकास
2. निदेशक, महिला कल्याण
3. मुख्य परिवीक्षा अधिकारी
4. जिला प्रोबेशन अधिकारी
5. मिनिस्टीरियल संवर्ग
6. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः-** लेखापरीक्षा में **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर (टि.ग.)** के 12/2018 से 02/2021 की अवधि को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर (टि.ग.)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। इस लेखापरीक्षा मे माह 03/19 & 9/20 (Treasury head-BM 5) तथा 3/19 & 8/19 (सीपीएस) को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय की धनराशि के आधार पर किया गया।

(ii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा- 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-02 ब</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> इकाई द्वारा सम्प्रेक्षा को रुपये **3.58 करोड़ के वाउचर** की **प्रस्तुति न करना , विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो के ऑनलाइन डी.बी.टी. भुगतान के उपरान्त वाउचरों की प्रविष्टि रोकड़ बही मे करना नहीं पाया जाना एवं BM-05 के अनुसार अंकित बिल संख्या व 11-C पंजिका के अनुसार अंकित बिल संख्या मे देयकों के भुगतान की धनराशि रुपये 6.35 करोड़ के सापेक्ष बिलो की संख्या मे भिन्नता का पाया जाना।**

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रविधानों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म जी.ए.आर.-3 मे रोकड़ वही का रख -रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन-देनो के घटित होने पर उसमे प्रविष्ट करेगा। माह के अन्त मे रोकड़ वही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाणपत्र स्वहस्तालेख मे अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन के पत्रांक संख्या-3/**XXVII**(6)/2013 दिनाक-02/01/2013 के बिन्दु संख्या-4.9 मे ई-पेमेंट प्रणाली मे दिये गए दिशा-निर्देश के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि संबन्धित के बैंक खाते मे अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेगे तथा भुगतान संबन्धित अभिलेखो यथा 11-सी पंजिका, रोकड़ वही, बिल पंजिका आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेगे ।

कार्यालय **ज़िला प्रोबेशन अधिकारी नरेन्द्र नगर(टिहरी)** के विस्तृत जांच हेतु चयनित माह -03/2019 & 09/2020 की विस्तृत जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा विभाग मे कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियो के वेतन बिलो की प्रविष्टि विभाग स्तर पर करना नहीं पाया गया। आगे संप्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा विस्तृत जांच हेतु चयनित माह -03/2019 & 09/2020 के निम्नलिखित बिल/वाउचर सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत करना नहीं पाया गया ,जिनका विवरण-**<u>अनुलग्नक-01</u>** मे निमन्वत दिया गया है, एवं आगे सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि कोषागार द्वारा रख-रखाव किये जा रहे प्रपत्र-BM-05 के अनुसार अंकित बिल संख्या व विभाग द्वारा रख-रखाव किये जा रहे प्रपत्र-11-C पंजिका के अनुसार अंकित बिल संख्या मे देयकों के भुगतान की धनराशि रुपये 6.35 करोड़ के सापेक्ष बिलो की संख्या मे भिन्नता का पाया जाना सम्प्रेक्षा के संज्ञान मे आया जो भुगतानो की संधिगता को प्रकट करता है। जिनका विवरण-**<u>अनुलग्नक-II</u>** मे निमन्वत दिया गया है।

अनुलग्नक-01

क्रमसंख्या	माह का नाम	वाउचर न0	लेखा शीर्षिक	धनराशि (र)
01	03/2019	03	223502102040001	73724.00
02	**03/2019**	04	223502102070001	85428.00
03	**03/2019**	05	223502102070001	256214.00
04	**03/2019**	06	223502102070001	37044.00
05	03/2019	27	223502103150033	4,70000.00
06	03/2019	28	223502103020133	6,32000.00
07	03/2019	29	223502103020133	2,04,000.00
08	03/2019	31	223502103150033	1,49,47,000.00
09	03/2019	32	223502103150033	1,17,26,000.00
10	03/2019	13	223502102070001	28041.00
11	03/2019	49	223502102040004	21626.00
12	03/2020	54	223502102070004	10804.00
13	03/2019	71	223502102040026	20,000.00
14	03/2019	68	223502102070042	10,000.00
15	03/2019	91	223503102010233	2,16000.00
16	03/2019	92	223503102010233	57,000.00
17	03/2019	124	223502102040019	1380.00
18	03/2019	125	223502102040010	6000.00
19	03/2019	126	223502102040018	6000.00
20	03/2019	127	223502102040011	14900.00
21	03/2019	128	223502102040013	4000.00
22	03/2019	129	223502102040008	3973.00
23	03/2019	24	223503102010242	1,29000.00
24	09/2020	03	223502102040001	1,09,868.00
25	09/2020	04	223502102070001	1,43,423.00

26	09/2020	06	223503102010257	35,**41,200.00**
27	09/2020	08	223502102010257	41,**000.00**
28	09/2020	10	223503102010257	26,**19,400.00**
29	09/2020	20	223502102040044	2950.00
30	09/2020	21	223502102040022	4331.00
31	09/2020	07	223502102040001	1,**42,700.00**
32	09/2020	08	223502102040001	109868.00
33	09/2020	09	223502102070001	143423.00
			योग	35818297.00

सम्प्रेक्षा द्वारा शासन के पत्रांक संख्या-3/XXVII(6)/2013 दिनाक 02/01/2013 के उल्लंघन के सम्बंध मे इंगित करने एवं पूछने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को भविष्य मे उक्त शासनादेश के अनुपालन करने हेतु अवगत कराया गया है एवं 11-सी पंजिका मे बिलो के अंकन मे त्रुटि का आगामी सम्प्रेक्षा मे सुधार करने एवं आगामी लेखा परीक्षा सम्प्रेक्षा को रुपये 3.58 करोड़ के वाउचर की प्रस्तुति करने, भविष्य मे विभिन्न योजनाओ के लाभार्थियो के ऑनलाइन डी.बी.टी. भुगतान के उपरान्त वाउचरों की प्रविष्टि रोकड़ वही मे करने हेतु लेखा परीक्षा दल को अवगत कराया गया है। सम्प्रेक्षा मे इकाई का उत्तर मान्य नहीं पाया गया क्योकि प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रविधानों के अनुसार स्पष्ट प्रविधानित किया गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी फॉर्म जी.ए.आर.-3 मे रोकड़ बही का रख-रखाव वाउचर की प्रस्तुति के साथ करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन-देनो के घटित होने पर उसमे प्रविष्ट करेगा एवं बिल पंजिका आदि मे इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेगे। उक्त प्रकरण मे विभाग द्वारा 11सी पंजिका मे त्रुटिपूर्ण देयकों का अंकन किया था एवं प्रपत्र -BM-05 के अनुसार अंकित बिल संख्या व विभाग द्वारा रख-रखाव किये जा रहे प्रपत्र-11-C पंजिका के अनुसार अंकित बिल संख्या मे देयकों के भुगतान की धनराशि रुपये 6.35 करोड़ के सापेक्ष बिलो की संख्या मे भिन्नता का पाया जाना गंभीर अनियमितता की श्रेणी मे आता है, जो भुगतानो की संधिगता को प्रकट करता जिससे विभाग मे जालसाज़ी एवं गबन की संभावना बनी रहती है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>अनुलग्नक-II</u>

क्रम संख्या	माह का नाम	BM-05 के अनुसार बिल संख्या	11-C पंजिका के अनुसार बिल संख्या	देयकों के अनुसार भुगतान की गयी धनराशि(र)
01	03/2019	46	42	21,00000.00
02	03/2019	44	40	6850,000.00
03	03/2019	49	45	400,000.00
04	03/2019	43	39	38,50,000.00
05	03/2019	39	36	700,000.00
06	03/2019	47	38	50,000.00
07	03/2019	50	35	50,000.00
08	03/2019	41	35	50,000.00
09	03/2019	42	43	50,000.00
10	03/2019	40	44	50,000.00
11	03/2019	38	34	50,000.00
12	03/2019	45	41	27,00,000.00
13	03/2019	54	36	4916.00
14	03/2019	53	35	3488.00
15	03/2019	82	38	3000.00
16	03/2019	80	24	3150.00
17	03/2019	94	105	4000.00
18	09/2020	-	11सी पंजिका मे प्रविष्टि नहीं पायी गयी।	163610.00
19	09/2020	20	14	5666400.00
20	09/2020	21	15	17967600.00
21	09/2020	22	16	14464800.00
22	09/2020	23	17	3958200.00
23	09/2020	24	18	2178600.00
24	09/2020	26	20	913000.00
25	09/2020	28	22	1459400.00
26	09/2020	25	24	18900.00
27	09/2020	31	29	14,100.00
28	09/2020	26	25	4331.00
29	09/2020	34	32	10000.00
			योग	63573885.00

भाग-02 ब

प्रस्तर:02- विधवा पेंशन मद का भुगतान शासकीय दिशा-निर्देश के अनुरूप नहीं पाया जाना।

(a) उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या - XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाक- 26/05/2016 एवं शासनादेश संख्या - 1747/XVII-02/20-19(05)2019 दिनाक - 11/02/20 के तहत विधवा पेंशन 40 वर्ष से 59 आयु तक के बीपीएल लाभार्थियो को केंद्र सरकार द्वारा रुपये 200/ प्रति माह तथा राज्य सरकार द्वारा रुपये 600/- मासिक पेंशन देय है। इसी प्रकार 18 वर्ष से 39 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की बीपीएल श्रेणी के अतिरिक्त विधवा पेंशन के जिन लाभार्थियो की मासिक आय रुपये 4000/- है ऐसे समस्त लाभार्थियो को राज्य सरकार द्वारा रुपये 800.00 मासिक पेंशन देय है।

सम्प्रेक्षा द्वारा कार्यालय ज़िला प्रोबेशन अधिकारी नरेन्द्र नगर (टिहरी) द्वारा विधवा पेंशन मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा अवधि- 12/2018 से 02/2021 तक की सम्प्रेक्षा/नमूना जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद से संबन्धित बीपीएल लाभार्थियो एवं अन्य लाभार्थियो को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए बजट के अनुसार सम्प्रेक्षा तिथि-03/2021 तक वर्ष-2018-19 के राजयांश मद मेक्रमश: अनुदानसंख्या-15 व 30 मे कुल रुपये 10.44 करोड़ प्राप्त आवंटन के सापेक्ष रुपये 10.18 करोड़ का व्यय किया तथा उक्त मद मे रुपये 25.45लाख का समर्पण शासन को किया गया था एवं इसी प्रकार रुपये 3.43 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष रुपये 2॰93 करोड़ का भुगतान किया गया तथा रुपये 49.88 लाख की धनराशि का शासन को समर्पण किया गया था। उक्त वर्ष के कैंद्रान्श मद मे क्रमश: अनुदान संख्या-15 व 30 मे कुल रुपये 64.11 लाख प्राप्त आवंटन के सापेक्ष रुपये 64.11 लाख का व्यय किया एवं रुपये 18.66 लाख के आवंटन के सापेक्ष रुपये 18.66 लाख का भुगतान किया गया। इसी प्रकार वर्ष-2019-20 के राजयांश मद मे क्रमश: अनुदान संख्या-15 व 30 मे कुल र 10.44 करोड़ प्राप्त आवंटन के सापेक्ष रुपये 10.44 करोड़ का व्यय किया एवं इसी प्रकार रुपये 4.38 करोड़ के आवंटन के सापेक्ष रुपये 4.38 करोड़ का भुगतान किया गया। कैंद्रान्श मद मे क्रमश: अनुदान संख्या-15 व 30 मे कुल रुपये 65.44 लाख प्राप्त आवंटन के सापेक्ष रुपये 65.44 लाख का व्यय किया गया एवं रुपये 31.51 लाख के आवंटन के सापेक्ष रुपये 31.51 लाख का भुगतान किया गया था। आगे सम्प्रेक्षा द्वारा जांच मे यह भी पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष-2017-18 से 2020-21 तक विगत 04 वर्षो मे उक्त योजना की राज्य सैक्टर की अनुदान संख्या-15 एवं 30 मे कुल रुपये 2.25 करोड़ की धनराशि विभाग स्तर पर पूरे वर्ष अप्रयुक्त पड़ी रहने के कारण शासन को समर्पित की गयी थी, जो विभाग स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी स्तर पर उक्त

योजना के अंतर्गत शासन से बजट पर निगरानी रखने मे लापरवाही बरती गयी ,बजट का वर्ष-2017-18 से 2020-21 तक कोई प्लानिंग/योजना तैयार न करने के कारण योजना की धनराशि का वर्ष भर dumb करने के बाद शासन को समर्पित की गयी थी, जो उत्तराखंड बजट manual का उल्लंघन था। लाभार्थियो द्वारा इकाई के समक्ष प्रस्तुत विधवा पेंशन प्रपत्रों की जांच मे पाया गया कि लाभार्थियो को उक्त पेंशन विभाग द्वारा विधवा पेंशन मद के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या - XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाक- 26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/ verification रिपोर्ट पत्रावली मे नहीं पायी गयी। विभाग स्तर पर भौतिक सत्यापन हेतु न तो किसी कमेटी का गठन किया गया था न ही छात्रवर्ती योजना की तरह कोई जिलाधिकारी स्तर पर कोई उक्त योजना हेतु अनुशर्वण हेतु कोई तंत्र विधमान था। विभाग के विकास खण्ड स्तर से ही भौतिक सत्यापन का कार्य किया जा रहा था, न ही विभाग द्वारा विकास खण्ड स्तर से ही भौतिक सत्यापन का कार्य कराया जाने का कोई अभिलेख सम्प्रेक्षा को प्रस्तुत किया गया। लाभार्थियो द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों मे लाभार्थियो द्वारा सहमति पत्र नहीं पाया गया। परिवार पंजिका मे लाभार्थी की जन्म तिथि का दिन एवं माह के साथ अंकन नहीं पाया गया। लाभार्थियो द्वारा विभाग को प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रपत्रों जैसे- आधारकार्ड, वोटर कार्ड, परिवार पंजिका एवं नामांकन (application form) मे जन्म तिथि त्रुटि पूर्ण पायी गयी जो लाभार्थि की पेंशन की पात्रता को संदिग्ध बनाती है। एवं किसी आवेदन पत्र में आय में भी भिन्नता पायी गयी है, उक्त त्रुटियो के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछने एवं इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि भौतिक सत्यापन का समस्त कार्य हेतु कोई विभाग स्तर पर कमेटी गठित न होने के कारण समस्त कार्य खण्ड विकास अधिकारी स्तर से पूर्ण कराया जाता है। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि पेंशन विभाग द्वारा विधवा पेंशन मद के अंतर्गत भुगतान किए गए प्रकरणो का उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या - XVII-02/16-01(02)/2010 दिनाक- 26/05/2016 के अनुपालन मे third party inspection/ verification अनिवार्य है। प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

(b) इकाई द्वारा “गौरी देवी कन्या धन योजना की धनराशि मद के अन्तर्गत कुल 338 से 412 पात्र कन्याओ को उनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण वर्ष-2016-17 से (विगत 04 वर्षो से) उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रखा जाना।

उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या - 749/XVII-04/2016-01(135)/2013-टी0सी0-01 दिनाक-23/05/2016 एवं शासनादेश संख्या 888/xvii-4/2018-10(33)2014 दिनाक-10/12/2018 के प्रस्तर-04 मे स्पष्ट है कि “गौरी देवी कन्या धन योजना की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से आवंटित की जाएगी के स्थान पर

योजना के अंतर्गत चयनित प्रति छात्रा को रुपये 50,000.00 की धनराशि कन्या धन के रूप मे स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीय बैंक अथवा ऐसे शासकीय बैंक जो सी.बी.एस. के माध्यम से जुड़े हो, मे छात्रा के नाम से तीन से पाँच वर्ष की सावधि जमा (fixedDeposit) के रूप मे रखी जायेगी तथा जिस पर प्रचलित ब्याज दरो के अनुसार मासिक ब्याज दिया जायेगा।

कार्यालय ज़िला प्रोबेशन अधिकारी नरेन्द्र नगर (टिहरी) द्वारा "गौरी देवी कन्या धन योजना मद से संबन्धित लेखा अभिलेखो की लेखा परीक्षा अवधि- 12/2018 से 02/2021 तक की सम्प्रेक्षा जांच मे पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त मद मे वर्ष-2016-17,2017-18 एवं 2018-19 मे पात्र 954 छात्राओ की स्वीकृति की गयी थी तथा कुल 338 से 412 पात्र कन्याओ को उनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण वर्ष-2016-17 से(विगत 04 वर्षो से) उक्त योजना का लाभ लेने से संप्रेक्षा तिथि-03/21 तक वंचित रखा गया था। उक्त त्रुटियो के सम्बंध मे सम्प्रेक्षा द्वारा विभाग से पूछने एवं इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे सम्प्रेक्षा को अवगत कराया कि विभाग स्तर पर मात्र रुपये 4.77 लाख की धनराशि वर्ष-2018-19 मे विभाग को शासन को प्राप्त हुई थी, जो गौरी देवी कन्या धन योजना हेतु संचालित बैंक खाते मे उपलब्ध है तथा विभाग स्तर पर उक्त पात्र कन्याओ के बैंक खाते उनके आधार कार्ड लिंक न होने के कारण कुल 338 से 412 पात्र कन्याओ को उक्त योजना का भुगतान नहीं हो पाया था, जिसके कारण संप्रेक्षा तिथि-03/21 तक उक्त कन्याओ को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सका। सम्प्रेक्षा मे विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उक्त योजना के अंतर्गत 04 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी उक्त पात्र कन्याओ से दस्तावेज़ मंगाने एवं बैंक से उनके लिंक करने के सम्बंध मे विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। अत: उक्त योजना जिस उद्देश्य/प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाया, प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2'ब'

प्रस्तर:03 संचालित बाल संरक्षण योजना दिशानिर्देश के अनुकूल नहीं पाया जाना।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी टिहरी के अधीन कार्यरत इकाई 'जिला बाल संरक्षण इकाई (डी सी पी यू) की जनपद में दी जाने वाली सेवाओं की लेखापरीक्षा की गयी जिसमें पाया गया कि भारत सरकार की आई सी पी एस योजना के अन्तर्गत डी सी पी यू को (1) बाल संरक्षण (2) बाल कल्याण (3) किशोर न्याय हेतु धनराशि प्रतिवर्ष आवंटित कि जाती है। उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशानिर्देश कि मुख्य बातें निमन्वत पायी गयी:-

(1) धात्रेय परिवार उस बालक को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, बालक के सम्पूर्ण कल्याण को सुनिश्चित करेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी प्रक्रिया, मापदंड और ऐसी रीति, जिसमें उन बालकों को धात्रेय देखरेख की सेवाएँ प्रदान की जाएंगी, को परिभाषित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(3) समिति के द्वारा बालक के कल्याण की जांच करने के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, प्रत्येक मास धात्रेय कुटुम्बों में स्वयं उस बालक की देखरेख करने के संबंध में कमी पायी जाती है, तो समिति के द्वारा उस बालक को उस धात्रेय कुटुम्ब से हटाया तथा उसे एक अन्य धात्रेय परिवार में, जो समिति उपयुक्त समझे, भेज दिया जाएगा।

अभिलेखों की जांच में लेखापरीक्षा मे देखा गया कि जनपद मे शिशुगृह न होने के कारण जनपद के चिन्हित शिशुओं जिन्हें आश्रय प्रदान करने कि आवश्यकता थी, से संबन्धित प्रकरण देहरादून शिशुगृह स्थानांतरित किए जाने का प्रावधान पाया गया। योजना के क्रियान्वयन के लिए टिहरी जनपद मे मानवसंसाधन उपलब्ध पाये गए तथा योजना संचालन के लिए जनपद मे समिति गठित थी। देहरादून शिशुगृह मे टिहरी जनपद के 06 प्रकरण पाये गए जिनके आवधिक अनुश्रवण रिपोर्ट के रखरखाव जनपद मे अनुपलब्ध पाये गए। आगे पाया गया कि जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा प्रवर्तकता योजना में 18 वर्ष से कम के बालक/बालिकाओं को 03 वर्ष की अवधि के लिए योजना से लाभान्वित किया जाता है, जिससे बच्चों को उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तथा समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रबंध हेतु प्रतिमाह रुपये 2000.00 रु की सहायता प्रदान की जाती है। योजना के तहत जनपद में वर्तमान तक 70 प्रकरण चिन्हित किये गए थे जिनमे से 41 बालकों को योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा था। इस संबंध मे नमूनास्वरूप जाँच किए गए अभिलेखों से तथ्य प्रकाश मे आया कि संरक्षक के चुनाव मे समिति के एक मात्र सदस्य आउटरीच अधिकारी का निर्णय प्राप्त किया जा रहा था तथा धात्रेय परिवार का आवधिक निरीक्षण समिति द्वारा किये जाने संबंधी अभिलेख अनुपलब्ध पाया गया।

इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कोई भी गृह संचालित नहीं है, बाल कल्याण समिति के माध्यम से जिन बच्चों को अन्य

जनपद के गृह में भेजा जाता है, संबन्धित जिले कि बाल कल्याण समिति बच्चों कि मोनिट्रिंग करती हैं। बाल कल्याण समिति जनपद में कार्यरत है जिनके सदस्य जनपद के संबन्धित प्रकरणों जिन्हें हरिद्वार स्थानांतरित किया गया है , के द्वारा समय-समय पर पयर्वेक्षण किया जाता है, तथा उनकी दर्ज रिपोर्ट का रखरखाव कार्यालय में किया जाता है।

लेखापरीक्षा मे इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, जनपद मे योजना संचालन के बावजूद जनपद के शिशु जिन्हें आश्रय के लिए अन्य जनपद के शिशुगृह में स्थानांतरित किये गए, का अनुश्रवण रिपोर्ट का रखरखाव नहीं किया जाना, समस्त चिन्हित बालकों को केंद्रीय योजना का लाभ नहीं दिया जाना, संरक्षक के चुनाव मे समिति का सक्रिय नहीं होना तथा दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त संरक्षक का समिति द्वारा मासिक भ्रमण कर सुनिश्चित नहीं किया जाना योजना के क्रियान्वयन मे कमी पाये जाने का प्रकरण पाया गया। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो-ब

प्रस्तर:04- परित्यक्ता पेंशन की धनराशि का भुगतान शासकीय दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं पाया जाना।

उत्तराखंड शासन के द्वारा दिसम्बर 2011 मे उत्तराखंड मे निवास करने वाली परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी अथवा पति एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना नियमावली-2011 प्रख्यापित किया गया था। यह नियमावली 01 अप्रैल 2012 से उत्तराखंड राज्य मे लागू है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को (बीपीएल) व्यक्तिगत रूप से मासिक सहायता उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की परित्यक्ता विवाहित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी अथवा पति एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं हेतु भरण पोषण अनुदान योजना से संबन्धित लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि मे इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उक्त भरण पोषण का लाभ दिये जाने का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	लाभार्थियों की संख्या	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	दर प्रति माह
2018-19	परित्यक्ता पेंशन - अनुदान संख्या 015	232	2468000/-	2468000/-	00	1000
2019-20	परित्यक्ता पेंशन - अनुदान संख्या 015	260	3151000/-	3151000/-	00	1000
2020-21	परित्यक्ता पेंशन - अनुदान संख्या 015	281	2801000/-	2729000/-	71600/-	1000 @1200 from July 20

लेखापरीक्षा द्वारा परित्यक्ता पेंशन से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि:

1) इस योजना के लाभार्थियों के पात्रता अथवा अपात्रता की पुष्टि हेतु भौतिक सत्यापन किए जाने का प्रावधान है। जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा जनपद में लाभान्वित होने वाले पेंशन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अभिलेख सिर्फ वर्ष 2020-21 के प्रस्तुत किए गए तथा विगत वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के भौतिक सत्यापन से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।
2) शासनादेश के पत्र जून 2016 के अनुसार समाज कल्याण विभाग, उत्तराखंड के द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं को पारदर्शी बनाने हेतु आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन क्रियान्वयन हेतु डेटाबेस पोर्टल बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। जांच में पाया गया की जनपद में लाभान्वित होने वाले पेंशन लाभार्थियों का कंप्यूटर डेटाबेस तैयार नहीं था, फलत: समय-समय पर (वार्षिक) पेंशनर्स की पात्रता तथा किए गए सत्यापन रिपोर्ट की अद्यतन स्थिति इकाई के पास अनुपलब्ध थी तथा योग्य लाभार्थियों द्वारा शर्तों का अनुपालन की निगरानी ऑनलाइन नहीं हो रहा था।
3) दिशा निर्देशानुसार लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि का भुगतान ऑनलाइन/डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते मे डाली जाएगी। भरण पोषण पेंशन/अनुदान की धनराशि ऑनलाइन सीधे लाभार्थियों को खाते में जमा कराए जाने के निर्देश के बावजूद पेंशन का भुगतान C.B.S. बैंक खातों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पेंशन की राशि जमा कराए जाने का प्रकरण पाया गया।

4) उक्त योजना का थर्ड पार्टी ऑडिट किए जाने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि इकाई मे थर्ड पार्टी ऑडिट से संबन्धित किसी प्रकार के अभिलेख अनुपलब्ध थे।

उक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि डेटाबेस पोर्टल का कार्यवाही निदेशालय स्तर से अपेक्षित है। लाभार्थियों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से न कर एनईएफ़टी के माध्यम से किया जाता है एवं थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया जाता है।

उक्त प्रकरण को प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
11/2014-15	-	1	-
220/2018-19	-	1,2,3,4,5	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
11/2014-15	भाग-दो-ब-01	कार्यालय द्वारा अध्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।	अध्यतन अनुपालन आख्या के अभाव मे प्रस्तर यथावत रहेगा	**यथावत**
220/2018-19	भाग-दो-ब-1,2,3,4,5	तदैव	तदैव	**यथावत**

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

ए.एम.जी-I/प्रतिवेदन संख्या-154/2020-21

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर (टि.ग.)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः - शून्य
3. सतत् अनियमितताएः - शून्य
4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया था;

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
05	श्री अविनाश सिंह भदौरिया	जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर, टिहरी गढ़वाल	01.11.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, नरेंद्र नगर (टि.ग.)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए॰एम॰जी॰1), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, “महालेखाकार भवन”, कौलागढ़, देहरादून - पिन- 248195 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए॰एम॰जी॰1